आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद सं0-168/2022

प्रीती कुमारी

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

05.04.2024

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 344/2021 में दिनांक 17.09.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नलिखित हैः-

".....the present writ petition stands disposed of with liberty to the petitioner to file appropriate representation/appeal, as aforesaid, before the Divisional Commissioner, Gopalganj and in case such a representation/appeal is filed within a period of four weeks from today, the same shall be disposed of on merits, in accordance with law, by a reasoned and a speaking order within a period of eight weeks thereafter, after giving an opportunity of hearing to all the affected persons. "

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि जिला-गोपालगंज अन्तर्गत अनुमंडल-हथुआ, प्रखंड-कटेया, पंचायत-गौरा, आरक्षण कोटि-अनारक्षित (महिला) रोस्टर बिन्दु-491 के लिए नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया। उक्त के आलोक में आवेदिका प्रीती कुमारी, पति-मनीष कुमार एवं विपक्षी सं0-04, निपु राय पिता-सत्यप्रकाश राय सहित अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए। प्राप्त आवेदनों के आधार पर औपबंधिक वरीयता सूची का तैयार किया गया, जिसमें आवेदिका प्रीती कुमारी, पति-मनीष कुमार क्र0 01 पर तथा विपक्षी निपु राय क्र0 स0-05 पर रही है। औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन कर उक्त के संबंध में अभ्यर्थियों से दावा-आपत्ति की मांग की गयी। आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें आवेदिका के पति के चचरे भाई के पास आटा चक्की होने के आधार पर **'बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016'** के कंडिका 11(iii) *"आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी"* के प्रावधान के आलोक में आवेदिका को नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु योग्य नहीं माना गया। अंतिम वरीयता सूची के क्र0 स0-02 पर स्थित विपक्षी निपु राय को वांछित अर्हता पूर्ण किए जाने के आधार पर उनके पक्ष में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका प्रीती कुमारी द्वारा न्यायालय समाहर्ता, गोपालगंज के समक्ष नई अनुज्ञप्ति हेतु विविध अपील सं0-39/21 दायर किया गया। वाद की सुनवाई के पश्चात दिनांक 25.05.2022 को पारित आदेश

Scanned with CamScanner

में अपीलवाद को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि प्रीती कुमारी के कॉलम-18 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि आवेदिका के पति के चचरे भाई के पास आटा चक्की है और जेठनी पंचायत सचिव है। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर आवेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 344/2021 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 17.09.2021 को दिए गए आदेश के अनुपालन में वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गयी है।

3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि प्रश्नगत रोस्टर बिन्दु पर नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर तैयार औपबंधिक मेधा सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदिका की शैक्षणिक योग्यता सबसे अधिक है, उनकी कम्प्यूटर योग्यता D.C.A है तथा उम्र भी अधिक है, परंतु उक्त पर विचार न करते हुए गलत ढंग से विपक्षी सं0-04 के पक्ष में पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा कर दी गयी है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि न्यायालय, समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष विविध अपील संख्या-39/21 की सुनवाई में भी आवेदिका द्वारा शपथ-पत्र के माध्यम से यह स्वीकार किया गया है कि आवेदिका के परिवार में किसी भी सदस्य की न तो सरकारी नौकरी है और न ही आटा चक्की है। उनके द्वारा आगे बताया गया कि विपक्षी द्वारा अपने आवेदन के साथ मैट्रिक का अंक प्रमाण-पत्र दाखिल नहीं किया गया है साथ ही विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कम्प्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र फर्जी है। परंतु उक्त पर विचार किए बिना ही आवेदिका के आवेदन को खारिज कर दिया गया है तथा विपक्षी के पक्ष में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा कर दी गयी है।

उक्त के आधार पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि आवेदिका के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय तथा उनके पक्ष में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु हेतु अनुशंसा किया जाय।

4. विपक्षी निपु राय, पिता-सत्यप्रकाश राय के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदिका के तर्को का खंडन किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि औपबंधिक वरीयता सूची के निर्माण के क्रम में उनके मैट्रिक अंक पत्र को अप्राप्त दिखलाया गया था, जिसकी जानकारी होने पर उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ के समक्ष दिनांक 24.12.2019 को इस आशय का आपत्ति पत्र दिया गया कि उनका मैट्रिक का अंक पत्र को गायब कर मेधा सूची के प्रमाण-पत्र वाले कॉलम में 'अप्राप्त' दर्शाया गया है। इसके अलावे उनके द्वारा आवेदिका के परिवार में आटा चक्की होने एवं आवेदिका के ससुर के सरकारी सेवा में रहने की भी सूचना दी गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ द्वारा उक्त बिन्दुओं पर जाँच कराया गया तथा आरोपों को सत्य पाया गया। आवेदिका के परिवार में आटा चक्की होने की बात तत्तसमय आवेदिका के पति द्वारा भी स्वीकार किया गया था। उक्त के आधार पर आवेदिका को नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु योग्य नहीं पाते हुए अंतिम वरीयता सूची के क्र0 स0-02 पर स्थित विपक्षी का चयन नयी पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु किया गया।

Scanned with CamScanner

उक्त के आधार विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** के प्रावधानों के तहत समुचित आदेश पारित किया गया है, जिसे यथावत रखा जाय।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा वाद के बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1222/खा0, दिनांक 08.03.2017, पत्रांक–1571/खा0, दिनांक 28.03.2017 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–963, दिनांक 20.01.2016 एवं परिपत्र सं0–2342, दिनांक 15.02.2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में गोपालगंज जिलान्तर्गत अनुमंडल–हथुआ, प्रखंड–कटेया, पंचायत–गौरा, रोस्टर बिन्दु–491 पर अनारक्षित (महिला) के लिए नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन की मांग की गयी। प्राप्त आवेदनों के आधार पर औपबंधिक मेधा सूची का निर्माण किया गया, जिसमें क्र0 स0–01 पर आवेदिका प्रीती कुमारी तथा क्र0स0–05 पर विपक्षी निपु राय रही है। आवेदिका प्रीती कुमारी के 'अनुज्ञप्ति हेतु मंतव्य' कॉलम में *'अनुशंसित'* तथा विपक्षी, निपु राय के *'अनुज्ञप्ति हेतु मंतव्य'* कॉलम में 'मैट्रिक का अंक पत्र अप्राप्त' अंकित पाया गया है। औपबंधिक वरीयता सूची के प्रकाशन के पश्चात विपक्षी निपु राय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ के समक्ष इस आशय का आपत्ति प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा अपने आवेदन के साथ पूर्व में मैट्रिक का अंक पत्र दिया गया था। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उनके मैट्रिक का अंक–पत्र दुबारा प्राप्त कर मेधा सूची का निर्माण किया जाय। साथ ही उनके द्वारा आवेदिका प्रीती कुमारी के परिवार में आटा चक्की होने तथा उनके ससुर के सरकारी सेवा में होने से भी अवगत कराया गया। उक्त के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ के ज्ञापांक–51/मु0 दिनांक 01.01.2022 द्वारा अपीलकर्ता, प्रीती कुमारी को आपत्ति का विवरण उपलब्ध कराते हुए उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

दावा आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया, जिसके अवलोकन में आवेदिका प्रीती कुमारी के सम्मुख कॉलम–17, कि *'आवेदक के परिवार में आटा–चक्की है या नहीं'* में *'चचरे भाई के पास है'* अंकित पाया गया है। साथ ही अनुज्ञप्ति हेतु मंतव्य कॉलम में, *'नियंत्रण आदेश 2016 के कंडिका 11(iii) के आलोक में योग्य नही है'* अंकित पाया गया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आगे कहा गया कि इस स्तर पर सुनवाई के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ के पत्रांक–1719, दिनांक 30.08.2023 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन में अंकित है कि *".....श्रीमती प्रीती कुमारी पति–श्री मनीष कुमार ग्राम पंचायत राज गौरा, प्रखंड–कटेया के घर पहुँच कर जाँच कार्य किया गया। जाँच के क्रम में पाया गया कि वर्तमान में वर्णित स्थल पर आटा चक्की नहीं है। परंतु अपीलकर्ता के अगल–बगल में पूछताछ करने पर श्री भोला गुप्ता/श्री विनय राय एवं अन्य द्वारा बताया गया कि लगभग 3–4 माह पूर्व अपीलकर्ता के पति के चचरे भाई श्री चंदेश्वर प्रसाद के पास आटा चक्की था।"*

Scanned with CamScanner

उक्त के आधार पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि जिला पदाधिकारी द्वारा वाद के सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरांत आदेश पारित किया गया है, जिसे यथावत रखा जा सकता है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन में निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आते है;

(i) अंतिम वरीयता सूची में अंकित पाया गया है कि आवेदिका की जेठानी पंचायत सचिव है। चूँकि आवेदिका स्वयं किसी लाभ के पद पर कार्यरत नही रही है ऐसे में, **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 11(vi)** में अंकित उक्त प्रावधान आवेदिका पर लागू नहीं होते है।

(ii) अंतिम वरीयता सूची के अवलोकन में आवेदिका के पति द्वारा निकट संबंधी के पास आटा चक्की होने की बात स्वीकार किया जाना अंकित है। अनुमंडल पदाधिकारी, हयुआ द्वारा पत्रांक–1719, दिनांक 30.08.2023 द्वारा प्रतिवेदित है कि जाँच के क्रम में आवेदिका के पति के चचरे भाई के पास पूर्व में आटा–चक्की रहने की पुष्टि की गयी है।

अतएव, **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 11(iii)** *"आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी"* के आलोक में आवेदिका नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु वांछित अर्हता धारण नहीं करती है।

उपर्युक्त वर्णित कारण से समाहर्ता, गोपालगंज द्वारा नई अनुज्ञप्ति हेतु विविध अपील सं0–39/21 में दिनांक 25.05.2022 को पारित आदेश को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with CamScanner